केंद्र सरकार के पेंशन धारकों के लिए निरंतर सुधार का एक नया युग

2014–2018

केन्द्रीय पेंशन धारकों के लिए
सुविधापूर्ण एवं सम्मानीय जीवन

प्रस्तावना

यह संकलन पेंशनधारकों के सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी सुविधाओं को उच्चता की ओर ले जाने में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की एक झलक प्रदर्शित करता है जिसमें सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों के लिए नियमों के सरलीकरण के प्रयास के साथ–साथ विभाग द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य पहलों को भी शामिल किया गया है।

हमारे पेंशनर्स देश के अनुभवी मानव शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं और मेरा विश्वास है कि जो सेवानिवृत्त कर्मी शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय हैं वे राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अपनी रुचि के अनुसार महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस दिशा में **'संकल्प'** नामक पहल के माध्यम से पेंशनधारकों के साथ जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है साथ ही साथ **'अनुभव'** के माध्यम से उन्हें अपने विभागों की संस्थागत स्मृति संजोने की सुविधा भी प्रदान की है।

स्कोवा बैठकों के माध्यम से मैं काफी करीब से पेंशनर्स संगठनों के संपर्क में रहा हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि इस विभाग द्वारा चिन्हित पेंशनर्स संघ सरकार और पेंशनधारकों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। मेरा विभाग चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग पेंशनधारकों को घर से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र देने जैसे कल्याणकारी कदमों में इन संघों से सहयोग लेकर इनका भरपूर उपयोग कर रहा है।

सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि पेंशनर्स, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों, प्रशिक्षकों और साथ ही विभिन्न विभागों में पेंशन का कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी नियमों और पात्रता के संबंध में नियमित रूप से 'जागरूकता कार्यक्रम' आयोजित किए जांए। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी गतिविधियां न केवल नई दिल्ली तक ही सीमित रहें बल्कि देश के दूर–दराज के इलाकों में भी पहुंचे जहां जागरूकता की कमी है। विभाग ने अपने जागरूकता अभियान में विशेष रूप से सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) पर ध्यान केंद्रित किया है जो कि अपने सेवाकाल में लगातार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं जिसकी वजह से वे अपने स्वयं के पेंशन संबंधी कार्य के लिए बहुत कम या बिलकुल ही समय नहीं निकाल पाते।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा की गई नई पहल 'भविष्य' पेंशन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसने ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया को संभव बना दिया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। 'भविष्य' के द्वारा यह सुनिश्चित हो सका है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को सभी बकाया राशि समय पर प्राप्त हो सके।

इस विभाग का एक अत्यंत सक्रिय शिकायत पोर्टल सीपेनग्राम्स पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आगे कदम बढ़ाते हुए अपने स्तर पर पेंशन अदालत की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दिया है जिसके द्वारा काफी समय से लंबित पड़ी समस्याओं का तत्काल निपटारा किया जाता है।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, प्रति वर्ष कुल 12 करोड़ रुपये के एक छोटे बजट के साथ केंद्रीय सरकार के लाखों पेंशनधारकों तक पहुंचने में सक्षम हुआ है, जो कि 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' का एक शानदार उदाहरण है।

डॉ जितेंद्र सिंह

सरलीकरण

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने की प्रक्रियावधि को दो साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है ।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) के माध्यम से होते हुए पेंशन भुगतान करने वाले बैंक के द्वारा पीपीओ दिए जाने के बजाय इसे अब सेवानिवृत्ति वाले दिन कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वयं सौंपा जाता है।

भविष्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशन मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है यह सॉफ्टवेयर पेंशन देयों की स्वतः ही गणना करने में सक्षम है।

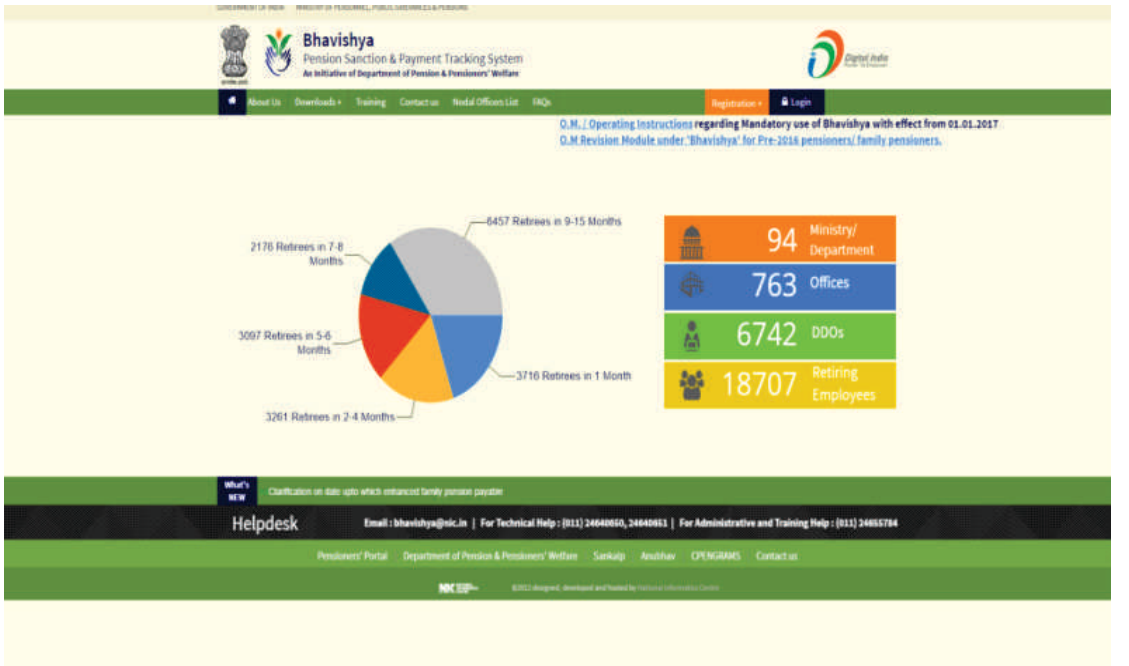

सरलीकरण

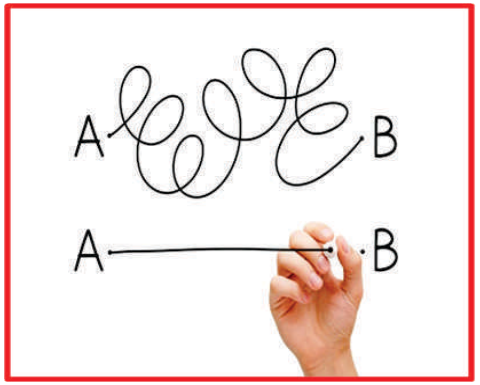

कई लंबे चौड़े पेंशन/नामांकन फॉर्म को छोटा करके एक पृष्ठ का फॉर्म बनाकर इसे सरल किया गया है।

ग्रैच्युइटी/जीपीएफ/केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना और पेंशन की राशि का संराशीकरण/पेंशन के आजीवन बकाया के लिए सामान्य नामांकन फॉर्म लाए गए।

पेंशनधारक के निधन पर मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करने के तुरंत बाद बैंक द्वारा उसके जीवन साथी को पेंशन देने की परेशानी रहित प्रक्रिया शुरू की गई। अब जहां से पेंशनधारक सेवानिवृत्त हुआ उस कार्यालय द्वारा फॉर्म–14 को जमा करने की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

निःशक्त बच्चों/भाई–बहनों के लिए पीपीओ में पेंशन का सह–प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया।

सरलीकरण

पेंशन दावा फॉर्म जमा करते समय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा शपथ–पत्र/प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

अब सीजीएचएस शहरों/क्षेत्रों से बाहर रहने वाले पेंशनधारकों को एफएमए मंजूर करने के लिए सीएमओ/सीजीएचएस की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

तलाकशुदा बेटी को भी ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन के लिए अर्हक (eligible) माना जायेगा जहाँ कर्मचारी/पेंशनधारक या उसके पति/पत्नी के जीवनकाल के दौरान तलाक की कार्यवाही दर्ज की गई थी लेकिन तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ।

सरलीकरण

जीपीएफ निकासी के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी। निकासी के लिए के लिए अभिदाता द्वारा साधारण घोषणा करना ही पर्याप्त है।

जीपीएफ के तहत अग्रिम/निकासी की स्वीकृति और भुगतान के लिए 15 दिन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

जीपीएफ निकासी सीमा में वृद्धि की गई। विशेषकर, गृह निर्माण और बच्चों की शिक्षा की गतिविधियों के लिए, जिसकी लागत में पिछले दो दशकों में कई गुना वृद्धि हुई है।

निकासी के लिए दायरे का विस्तार किया गया ताकि सभी विषयों और संस्थानों सहित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा को शामिल किया जा सके।

यात्रा और पर्यटन के लिए भी अग्रिम लिया जा सकता है।

सिविल पेंशनधारकों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन

न्यूनतम पेंशन को प्रतिमाह 3,500/– से बढ़ाकर प्रतिमाह 9000/– कर दिया गया।

केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के तहत शामिल न्यूनतम निःशक्तता पेंशन और कुटुंब पेंशन को 7,000/– से बढ़ाकर 18,000/– रुपये कर दिया गया है।

उस वेतनमान/वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जिससे पेंशनधारक सेवानिवृत्त/मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसके तदनुरूपी स्तर में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में उनका वेतन कल्पित रूप में निर्धारित करके 2016 से पहले के पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन किया गया।

पेंशन संशोधन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, इस विभाग के पेंशन संशोधन आदेशों के आधार पर प्रत्येक संबंधित ग्रेड वेतन के लिए सामंजस्य तालिका जारी की गई।

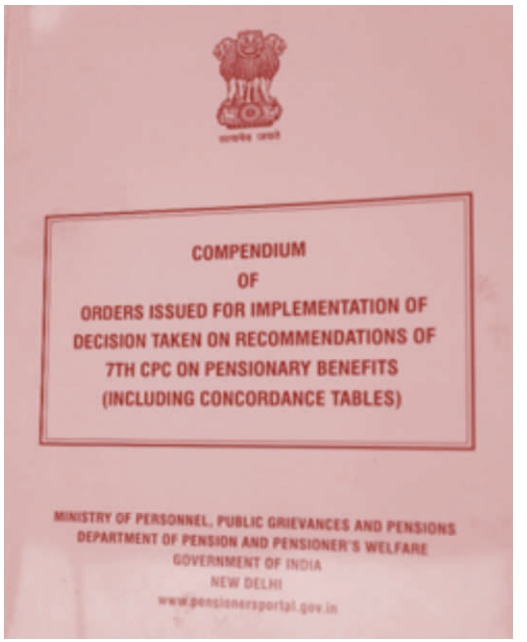

सिविल पेंशनधारकों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन

एनपीएस कर्मचारियों को उपदान का लाभ दिनांक 01.01.2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों पर ही दी गई।

उपदान की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया।

मृत्यु उपदान (ग्रेच्युटी) का एक नया स्लैब जोड़ा गया है। 11–20 साल की अर्हक सेवा के साथ सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त सरकारी कर्मचारी का परिवार 12 गुना की मौजूदा पात्रता की तुलना में मासिक परिलब्धियों का 20 गुना दर पाने का हकदार होगा।

सिविल पेंशनधारकों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन

निःशक्त पेंशनभागियों को भुगतान किए जाने वाले सतत परिचर भत्ते को संशोधित करके मौजूदा 4,500/– रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर प्रतिमाह 6,750 /– रुपये कर दिया गया है।

निश्चित चिकित्सा भत्ते (एफएमए) की राशि को 500/– प्रति माह से बढ़ाकर 1000/– प्रति माह कर दिया गया।

कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए मुआवजे की एकमुश्त अनुग्रह राशि की दरों को, जिन परिस्थितियों में मृत्यु होती है उस आधार पर, मौजूदा 10–15 लाख से बढ़ाकर 25–45 लाख कर दिया गया है।

आमेलित पेंशनधारकों की पूर्ण पेंशन की बहाली

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में आमेलन पर पेंशन के बदले 100% एकमुश्त राशि लेने वाले पेंशनधारकों को 15 साल की संराशीकरण की अवधि के पूरी होने पर पूर्ण पेंशन की बहाली की अनुमति देते हुए 23 जून, 2017 को आदेश जारी किए गए।

डिजिटलीकरण

पेंशन का भुगतान बिना किसी रूकावट जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को प्रतिवर्ष डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा कराने की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जीवन प्रमाण दल तथा पेंशन भुगतान बैंकों के बीच त्रिपक्षीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

पेंशनर्स पोर्टल को ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की सुविधा – 'भविष्य' जोड़कर मजबूत बनाया गया है ।

सभी हितधारकों जैसे पीएफएमएस और पारस एवं ई–आवास के साथ भविष्य सॉफ्टवेयर का एकीकरण जिससे ईपीपीओ का सृजन संभव हुआ है।

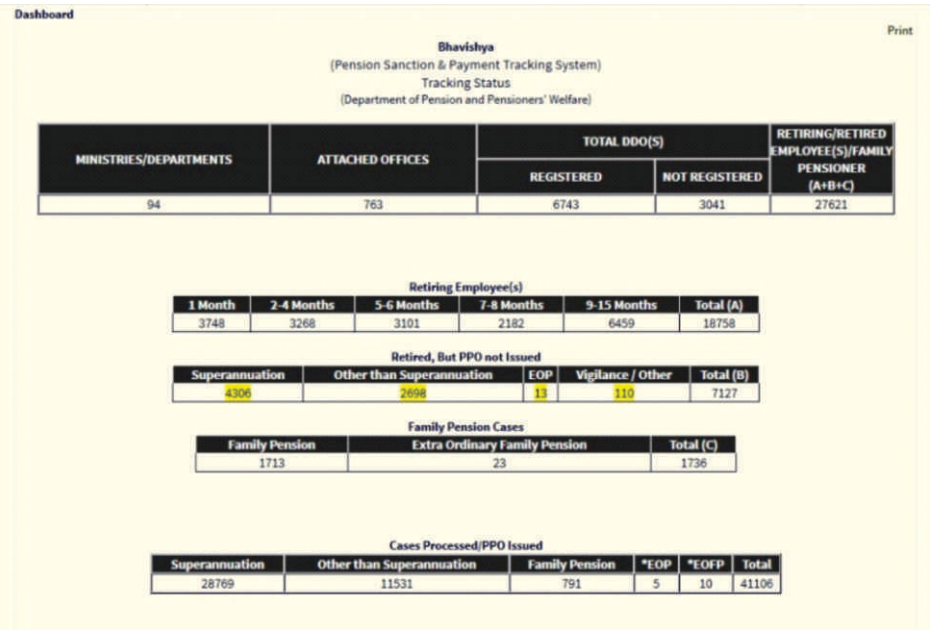

Dashboard

Print

Bhavishya
(Pension Sanction & Payment Tracking System)
Tracking Status
(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

MINISTRIES/DEPARTMENTS	ATTACHED OFFICES	TOTAL DDO(S)		RETIRING/RETIRED EMPLOYEE(S)/FAMILY PENSIONER (A+B+C)
		REGISTERED	NOT REGISTERED	
94	763	6743	3041	27621

Retiring Employee(s)

1 Month	2-4 Months	5-6 Months	7-8 Months	9-15 Months	Total (A)
3748	3268	3101	2182	6459	18758

Retired, But PPO not Issued

Superannuation	Other than Superannuation	EOP	Vigilance / Other	Total (B)
4306	2698	13	110	7127

Family Pension Cases

Family Pension	Extra Ordinary Family Pension	Total (C)
1713	23	1736

Cases Processed/PPO Issued

Superannuation	Other than Superannuation	Family Pension	*EOP	*EOFP	Total
28769	11531	791	5	10	41106

डिजिटलीकरण

सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी पेंशनधारक होने पर उन्हें गर्व महसूस हो इसके लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाला प्लास्टिक पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया।

सेवानिवृत्त लोगों के लिए निजीकृत रोडमैप www.pensionersportal.gov.in और इसके मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

पेंशनधारक पेंशनर्स पोर्टल पर और उसके मोबाइल ऐप पर उपलब्ध पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से अपने देयों का स्वयं ही मूल्यांकन कर सकते हैं ।

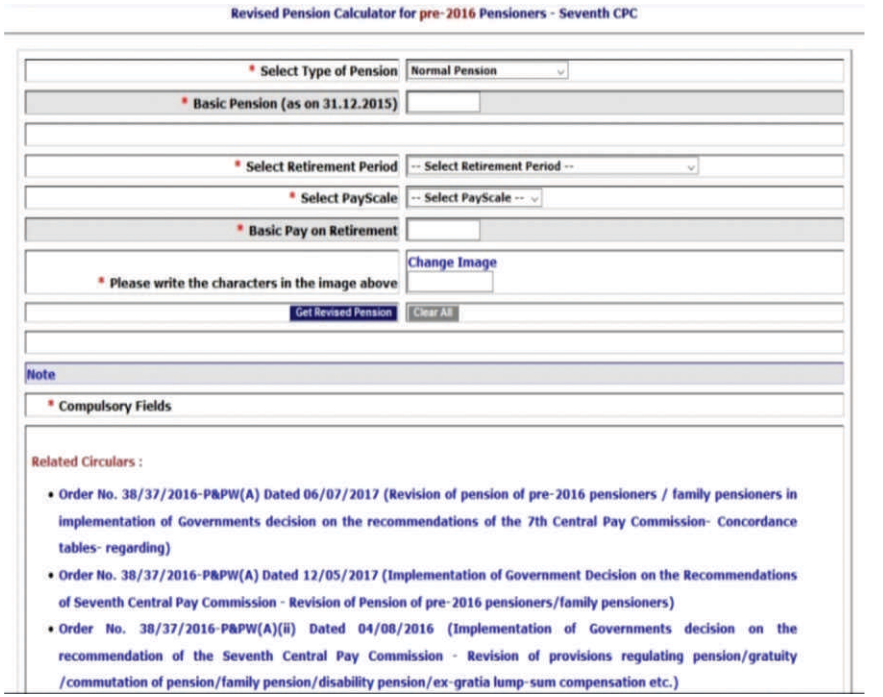

डिजिटलीकरण

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग जुलाई, 2017 से पूरी तरह से ई–ऑफिस पर कार्य कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप विभाग से संबंधित सभी मामलों का शीघ्रता से निपटारा हो रहा है।

शिकायतों को डिजिटल रूप में जमा करने के लिए सीपेनग्राम्स (केंद्रीकृत वेब–सक्षम पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर और शिकायतों का तीव्रता से निपटारा करके इसे लोकप्रिय बनाया गया।

पेंशनधारकों के लिए मोबाइल एप

सितंबर, 2017 में पेंशनधारकों तक बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और पेंशनर्स पोर्टल की सेवाएं इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गईं।

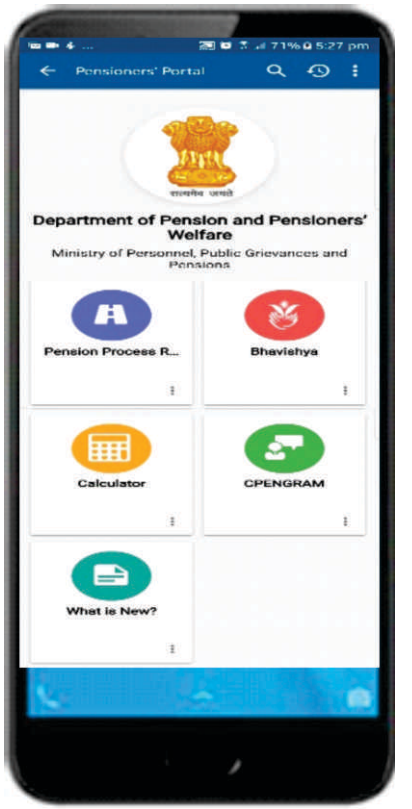

इस ऐप के साथ, सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन मंजूरी की प्रगति की निगरानी स्वयं कर सकते हैं, और सेवानिवृत्त अधिकारी पेंशन कैलक्यूलेटर के माध्यम से अपनी पेंशन का स्वयं ही मूल्यांकन कर सकने में सक्षम हैं। साथ ही, वे इस मोबाइल ऐप द्वारा अपनी शिकायत भी पंजीकृत कर सकते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेश देखने की सुविधा भी इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।

शिकायत निवारण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए गए गहन विश्लेषण द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली (सीपेनग्राम्स) को सुदृढ़ बनाया गया।

शिकायतों के कारण को कम करने के उद्देश्य से प्रणाली में व्यवस्थित परिवर्तन लाने के लिए मूल कारण विश्लेषण किया गया।

वर्ष 2014 में शिकायतों के निपटारे के लिए औसत समय 104 दिनों से घटकर वर्ष 2017 में 36 दिनों तक रह गया।

पेंशन अदालत

विभाग ने पेंशनधारकों, पेंशन स्वीकृत करने वाले मंत्रालयों/विभागों, बैंकों, सीपीएओ इत्यादि सहित सभी संबंधित संस्थानों को एक मंच पर लाकर शिकायत का तत्काल समाधान उपलब्ध कराने के लिए पेंशन अदालतें आयोजित करने की एक नई पहल की है।

पेंशन का निपटारा करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

पेंशनधारकों की शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण करने से पता चला कि पेंशन संबंधी कार्य करने वाले अधिकारियों को अद्यतन नियमों के बारे में शिक्षित करने और सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

पेंशन के निपटारे, विशेष रूप से पारिवारिक पेंशन और निःशक्तता पेंशन से उठने वाले मुद्दों के संबंध में अधिकतर मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए 500 से अधिक अधिकारियों को नवीनतम नियम/विनियमों के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

पेंशनधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को विशेष रूप से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद अपने अधिकारों का अद्यतन ज्ञान होना चाहिए।

पेंशनधारकों को उनकी हकधारी के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से जोधपुर और जयपुर के अलावा शिलांग, आइजॉल, कोहिमा, गुवाहाटी, अगरतला जैसे दूरदराज के स्थानों सहित देश भर के विभिन्न भागों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

पेंशनधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

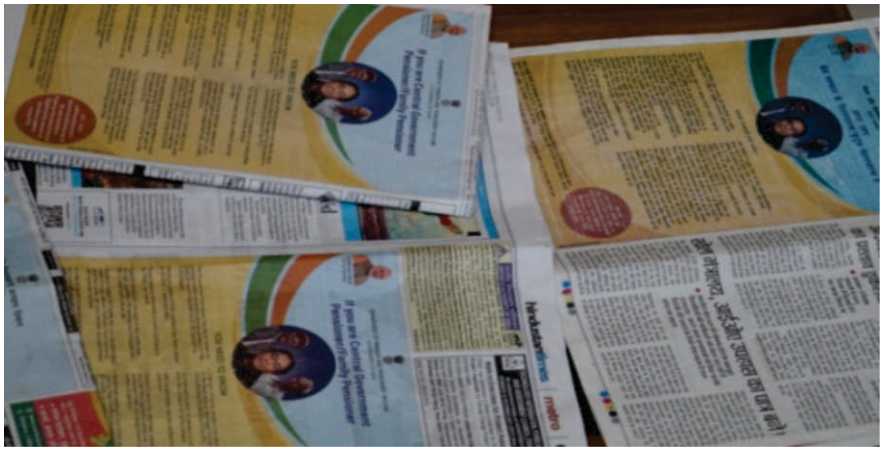

पेंशन संबंधी अधिकारों पर उपयोगी और अद्यतन प्रावधानों और सीपेनग्राम्स के बारे में देशभर के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में सूचना बुलेटिन प्रकाशित किए गए।

पेंशनधारकों और पेंशन स्वीकृति प्राधिकरणों की सुविधा और सुलभ संदर्भ के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों का संग्रह, वार्षिक आधार पर तैयार और जारी किया जाता है।

विभाग की वेबसाइट को उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के साथ–साथ "दिव्यांग अनुकुल" बनाने के लिए इसे व्यापक रूप से संशोधित किया गया ।

विभाग ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचो पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।

स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थायी समिति (स्कोवा)

सरकारी कार्रवाई के पूरक के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को संगठित करने के अलावा इस विभाग की नीतियों / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्य मंत्री (पीपी) की अध्यक्षता में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थायी समिति (स्कोवा) की स्थापना की गई है।

हाल की पेंशन नीतियों और पेंशनधारक कल्याण योजना पर प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों और देश भर से 10 चक्रीय सदस्यों वाला 30वां स्कोवा आयोजित किया गया।

नई पहल

अनुभव

यह ऑनलाईन पोर्टल, सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को सरकारी सेवा में कार्य करने के दौरान अपने अनुभव दर्ज करने और साथ ही बेहतर प्रशासन हेतु भविष्य की पीढ़ियों के लिए संस्थागत स्मृति का खजाना तैयार करने का अवसर प्रदान करता है।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों को उत्तम आलेख प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है।

2017 में, आलेख जमा कराने वाले 16 पेंशनधारकों को माननीय राज्य मंत्री (पीपी) द्वारा सम्मानित किया गया।

इसके अंतर्गत दिनांक 24/08/2018 तक 5320 आलेख प्रकाशित किए गए हैं।

यह दशकों के प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की ओर से मिलने वाली संपत्ति का एक विशाल भंडार है।

नई पहल

भविष्य (एक ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली) केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए दिनांक 01.01.2017 से अनिवार्य बना दी गई। यह प्रणाली केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए सिस्टम पर निर्बाध और सटीक पेंशन प्रसंस्करण सुनिश्चित करने में एक लंबा सफर तय कर चुकी है।

यह प्रणाली पेंशनधारकों के खाते में पेंशन की पहली राशि जमा करने के चरण तक पेंशन की पूरी कार्रवाई का तुरंत आंकड़ा देने में सक्षम है।

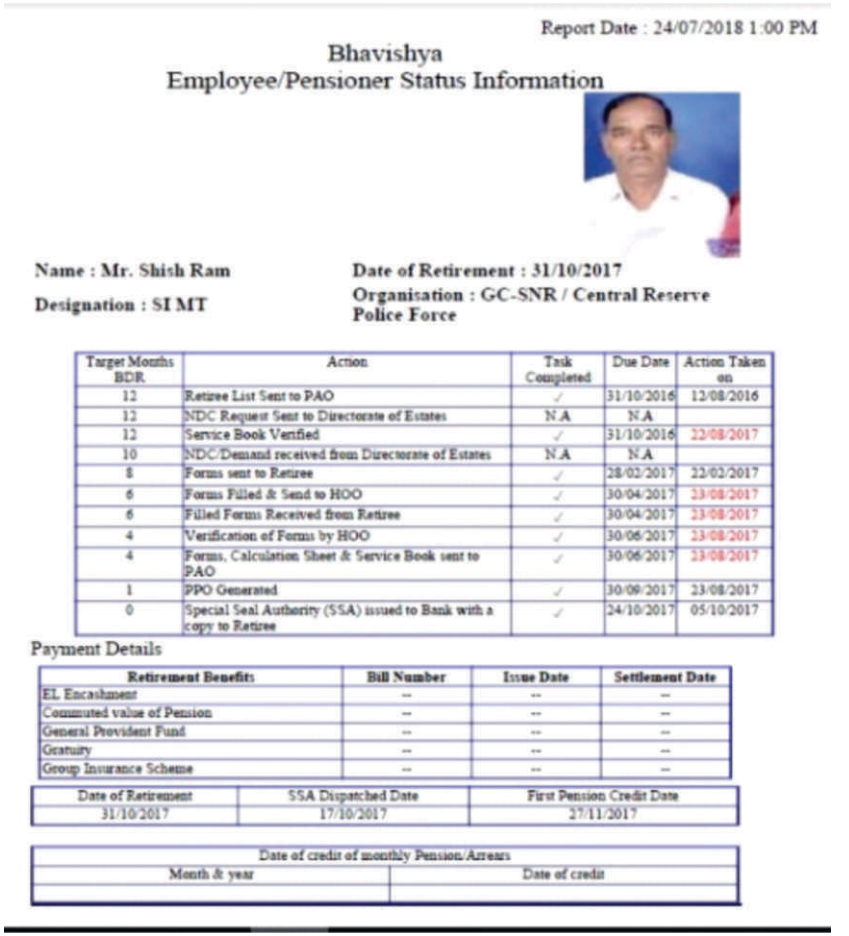

Report Date : 24/07/2018 1:00 PM

Bhavishya
Employee/Pensioner Status Information

Name : Mr. Shish Ram
Designation : SI MT
Date of Retirement : 31/10/2017
Organisation : GC-SNR / Central Reserve Police Force

Target Months BDR	Action	Task Completed	Due Date	Action Taken on
12	Retiree List Sent to PAO	✓	31/10/2016	12/08/2016
12	NDC Request Sent to Directorate of Estates	N.A	N.A	
12	Service Book Verified	✓	31/10/2016	22/08/2017
10	NDC/Demand received from Directorate of Estates	N.A	N.A	
8	Forms sent to Retiree	✓	28/02/2017	22/02/2017
6	Forms Filled & Send to HOO	✓	30/04/2017	23/08/2017
6	Filled Forms Received from Retiree	✓	30/04/2017	23/08/2017
4	Verification of Forms by HOO	✓	30/06/2017	23/08/2017
4	Forms, Calculation Sheet & Service Book sent to PAO	✓	30/06/2017	23/08/2017
1	PPO Generated	✓	30/09/2017	23/08/2017
0	Special Seal Authority (SSA) issued to Bank with a copy to Retiree	✓	24/10/2017	05/10/2017

Payment Details

Retirement Benefits	Bill Number	Issue Date	Settlement Date
EL Encashment	--	--	--
Commuted value of Pension	--	--	--
General Provident Fund	--	--	--
Gratuity	--	--	--
Group Insurance Scheme	--	--	--

Date of Retirement	SSA Dispatched Date	First Pension Credit Date
31/10/2017	17/10/2017	27/11/2017

Date of credit of monthly Pension/Arrears	
Month & year	Date of credit

नई पहल

भविष्य

भविष्य ने ई–पीपीओ की अवधारणा को संभव बना दिया है और ई–पीपीओ के कुछ प्रायोगिक मामलों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है। ई–पीपीओ सिस्टम जल्द ही शुरू हो जाएगा और पेंशन प्रसंस्करण के डिजिटाइजेशन में यह मील का पत्थर साबित होगा ।

भविष्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब तक 43,000 से अधिक मामलों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा 29,000 से अधिक मामले सिविल मंत्रालयों/विभागों के 764 कार्यालयों के माध्यम से प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।

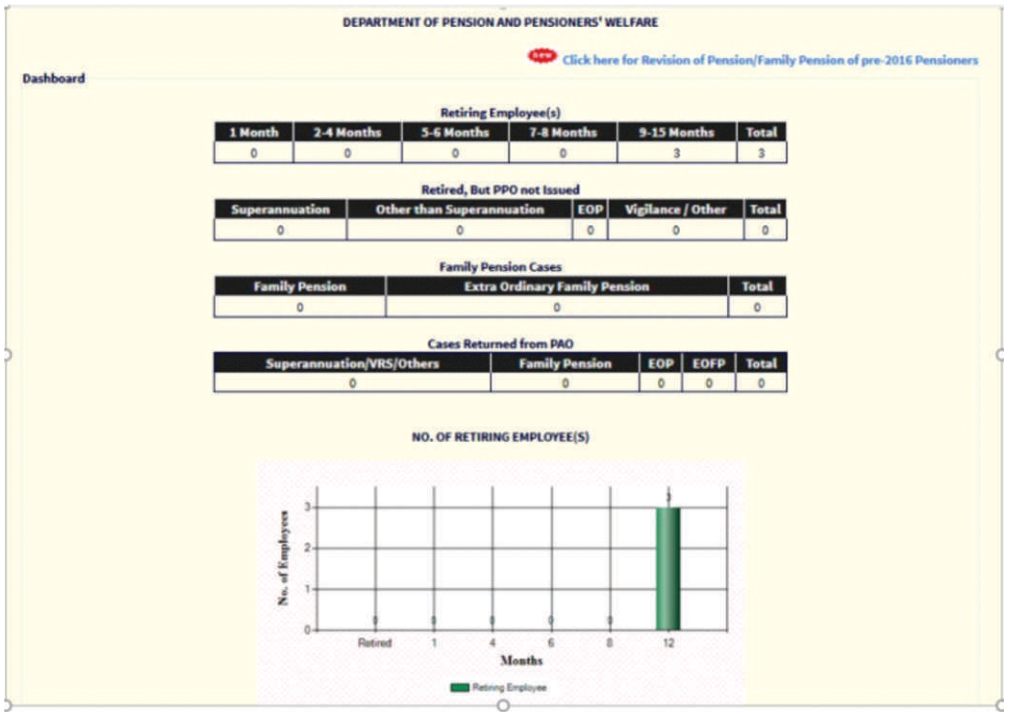

नई पहल

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनधारकों को एक सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करने और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों तथा सामाजिक कार्यों के प्रति अपने कौशल और अनुभव का लाभप्रद उपयोग करने हेतु, **'संकल्प'** नामक एक नई पहल की गई है।

'संकल्प' के तहत सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यक्रम का आयोजन उन कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है जो एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यक्रम में उनके पेंशन देयों संबंधित जानकारी के साथ–साथ सेवानिवृत्ति पश्चात सक्रिय जीवन जीने के बारे में भी जानकारी साझा की जाती है।

सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श

उन सेवानिवृत्त हो रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मचारियों के लिए जो शिलांग, जैसलमेर, जम्मू आदि सहित दूरदराज के इलाकों और सीमावर्ती इलाकों में तैनात हैं, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में निर्बाध अंतरण के बारे में जानकारी देने के उद्देश य से सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं (पीआरसी) आयोजित की गईं।

दूरस्थ स्थानों पर तैनात सीएपीएफ (CAPF) कर्मी, आम तौर पर पेंशन की मंजूरी से जुड़ी प्रक्रिया और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के देयां के बारे में जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं।

सेवानिवृत्ति कम आयु में होने के कारण, उनके पास दूसरों की तुलना में सेवानिवृत्त जीवन की एक अधिक लंबी अवधि भी है।

सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और 670 विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार किया गया।

ये विशेषज्ञ प्रशिक्षक विभागों के भीतर अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाओं का संचालन करने में सक्षम हैं।

संकल्प के तहत पेंशनधारकों द्वारा की गई गतिविधियां

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1224 पेंशनधारकों को विभिन्न शहरों आदि में परीक्षा के दौरान उड़ान दस्ते के जांच अधिकारियों/सदस्यों के रूप में कार्य पर लगाया गया।

तमिलनाडु पेंशनधारक संगठन ने मोतियाबिंद सर्जरी करके कुछ 500 लोगों की आंखों की रोशनी बहाल करने में उनकी मदद की।

विद्यालयों में शिक्षा और पर्यावरण की गुणवत्ता स्तर में सुधार लाने के लिए 16 पेंशनधारकों द्वारा 11 एमसीडी के विद्यालयों को अपनाया गया।

पेंशनधारकों द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में वृक्षारोपण

स्वच्छ भारत

इस विभाग ने देश के विभिन्न भागों में स्वच्छ भारत आंदोलन का आयोजन करने के लिए पेंशनधारकों/नागरिकों को प्रेरित करने के लिए कई चिन्हित पेंशनधारक संगठनों को शामिल किया। गुवाहाटी, बेंगलुरू, इलाहाबाद, वडोदरा, असम और बिहार में इन संगठनों द्वारा कई सफाई अभियान आयोजित किए गए।

महत्वपूर्ण पेंशन सुधार

- ✓ सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर पेंशन / कुटुंब पेंशन निर्धारित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
- ✓ न्यूनतम पेंशन / कुटुंब पेंशन को बढ़ाकर 9 000 रूपए + मंहगाई राहत कर दिया गया है।
- ✓ 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु के हो जाने पर 20% से 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है।
- ✓ गैर–सीजीएचएस क्षेत्र में रहने वाले पेंशनधारकों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर प्रतिमाह 1000 रुपये किया गया है।
- ✓ वृद्ध / बीमार पेंशनधारक, राजपत्रित अधिकारियों / सरपंच / मजिस्ट्रेट / भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य बैंक अधिकारियों आदि के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- ✓ आधार संख्या पर आधारित जीवन प्रमाणपत्र, घर से ही ऑनलाइन जमा किया जा सकता है ।
- ✓ पति / पत्नी के साथ संयुक्त खाता रखने वाले पेंशनधारकों के पति / पत्नी को कुटुंब पेंशन शुरू करने के लिए केवल मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना ही पर्याप्त है।
- ✓ पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।
- ✓ कर्मचारी / पेंशनधारक के जीवनकाल के दौरान उनके स्थायी रूप से विकलांग बच्चों / भाई बहनों और आश्रित माता–पिता को उनके पीपीओ में कुटुंब पेंशन के लिए सह–प्राधिकृत किया जा सकता है ।
- ✓ यदि पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए उसे सह–प्राधिकृत किया गया है तो पारिवारिक पेंशन का दावेदार सीधे शाखा प्रबंधक को आवेदन कर सकता है।
- ✓ पेंशन का संराशिकृत हिस्से की कटौती पारिवारिक पेंशन से नहीं की जाएगी ।
- ✓ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लाभार्थी भी उपदान (ग्रैच्युटी) भुगतान के हकदार हैं ।
- ✓ पेंशनधारक के खिलाफ किसी भी मांग के लिए पेंशन को जोड़ा या जब्त नहीं किया जा सकता; न ही पेंशनधारक पेंशन की प्रत्याशा में कोई असाइनमेंट आदि कर सकते हैं।
- ✓ जो पेंशनधारक गैर सीजीएचएस क्षेत्र में रह रहें हैं और नियत चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहें हैं वे भी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत योगदान करने पर आईपीडी (अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए) सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- ✓ वित्त अधिनियम 2018 के तहत आयकर की गणना करने के उद्देश्य से पेंशनधारक / पारिवारिक पेंशनधारक, 40,000 रुपये के मानक कटौती का लाभ उठाने के हकदार हैं।
- ✓ विभिन्न पेंशन स्वीकृति प्राधिकरणों के पास लंबित शिकायतों के त्वरित निवारण की सुविधा प्रदान करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन अदालतों का भी संचालन किया जा रहा है।

- ● पेंशन संबंधी किसी भी शिकायत के लिए वेबसाइट **www.pensionersportal.gov.in@CPENGRAMS** पर जाएं या उप–सचिव (सीपेनग्राम्स), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, तीसरी मंजिल, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003 को लिखें।
- ● अद्यतन (अपडेट) जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी शिकायत अपने मोबाइल नंबर व पूरे पते के साथ दर्ज करें ।

वेबसाइट : www.pensionersportal.gov.in

भारत सरकार
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली–110003
वेबसाइट : www.pensionersportal.gov.in
DOPPW_india